

संभाव्य अपमानसूचक सामग्री के प्रसारण पर दिशा-निर्देश**सिंहावलोकन:**

1. प्रसारकों को हमेशा दृश्य-श्रव्य माध्यम की शक्ति और प्रभाव तथा अपने न्यूज चैनलों की व्यापक पहुंच के कारण इस बात को लेकर सचेत रहना चाहिए कि उनकी रिपोर्टिंग अगर सही और वस्तुनिष्ठ (Objective) न हुई तो उससे बेहिसाब नुकसान पहुंच सकता है।
2. प्रसारकों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनके समाचारों/ कार्यक्रमों में किसी अपमानजनक बात के प्रसारित होने की स्थिति में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है. यहां तक कि यदि वह अपमानजनक सामग्री किसी और का वक्तव्य भी हो, तो भी उसे प्रसारित करने पर उनके खिलाफ़ कानूनी मामला बन सकता है।
3. किसी भी संवेदनशील मामले को किसी भी रूप में प्रसारित करने के पहले प्रसारकों को कड़ाई से उसकी जाँच-परख और संपादन करना चाहिए।
4. उपरोक्त बातों को देखते हुए प्रसारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कुछ मानदंडों का पालन करें और सावधानी बरतें ताकि ऐसे मामलों में उनकी देयता (Liability) का जोखिम कम से कम हो।

आधारभूत दिशानिर्देश:

5. न्यूज एंकर/ पत्रकार/ प्रस्तोता (प्रेज़ेन्टर) को समाचार की रिपोर्टिंग या उस पर टिप्पणी करते हुए किसी प्रकार की अपमानजनक, उपहासपूर्ण या धारणा के आधार पर निन्दात्मक (Judgemental) बात नहीं कहनी चाहिए।
6. नियमत: किसी भी न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार के अपमानजनक या उपहासात्मक बयान या बात को "लाइव" या रिकार्डेड किसी रूप में प्रसारित नहीं करना चाहिए।
7. "लाइव" प्रसारण की स्थिति में, यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी बात कही हो जो अपमानजनक या मानहानिकारक हो सकती हो, तो न्यूज चैनल को इसे नकारने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।
8. किसी भी अभियोग या आरोप की रिपोर्टिंग से पहले, उससे प्रभावित होनेवाले व्यक्ति का पक्ष या बयान अवश्य प्राप्त कर आरोप और उसके प्रत्युत्तर को एक साथ प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि दर्शकों को पूरी तसवीर मिल सके। लेकिन यदि प्रयास करने के बावजूद एक समुचित अवधि के भीतर प्रभावित व्यक्ति का पक्ष या बयान नहीं मिल पाता है तो मामले की रिपोर्टिंग के साथ-साथ यह बात भी बतायी जानी चाहिए और प्रभावित व्यक्ति का पक्ष जानने के लिए किये गये सारे प्रयासों का पूरा रिकार्ड रखा जाना चाहिए।
9. ऐसे किसी समाचार/ कार्यक्रमों को प्रसारित करने से पहले, चैनल को उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की जाँच के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
10. डिस्कशन शो के लिए पैनलों के चयन में, चैनल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका कार्यक्रम कटुता फैलाने का मंच तो नहीं बन रहा है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 13 दिसम्बर 2012